कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2282 /12-1 :देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(FP/UK/ROAD/67235/2021)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/119/2021/एफ.सी./984 दिनांक 20–10–2023 एवं उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 1690/X-3-23/1(140)/2021 दिनांक18–03–2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपलान आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्र संख्या 2029/12–1(2) दिनांक 15–02–2025 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :–

क्र. सं.	शर्तें	शर्तो की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 10.35 है0 सिविल सोयरम भूमि ग्राम रिंगू मुनस्यारी, खसरा सं0– 61, 12, 116, 125, 126, 164, 187, 199, 215, 218, 234, 235 ,237, 245, 257, 267, 268, 270, 295, 298, 300, 301, 303, 309, 318, 319, 321, 327, तथा 328 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित स्थल में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लांटेशन किया जायेगा। (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वन भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है **(संलग्नक–1)** (ग) प्रमाण पत्र संलग्न। **(संलग्नक–2)**

	(घ) प्रत्यार्वित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(घ) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा प्रत्यार्वित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित जमा की गई है **(संलग्नक–3)**।
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–** **(क)** इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 –एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.175 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। **(ख)** विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। **(संलग्नक 3 के अनुसार)** प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्तरित/जमा किए जाएगें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
9	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
11	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

13	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।
15	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
16	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेंसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। वनभूमि किसी एजेन्सी को प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर आहरित शर्ते लागू होगी।	अवगत कराया गया है कि निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।
19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलो को राज्य के वन विभाग को सौपनें से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
20	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
21	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्ते मान्य है।
23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा / प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 2282 / 12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन। (प्रति संलग्न)
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 2029 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 15.02. 2025.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0 67235 / 2021।

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 119 / 2021 / एफ0सी0 / 984 दिनांक 20.10.2023।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 4059/12-1 दिनांक 24.01.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
3672
12-1
28-2-25

06 FEB 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रॉकः 4059/12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 24 जनवरी, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/67235/2021)।**

संदर्भः– **भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/119/2021/एफ.सी./984 दिनांक 20–10–2023 प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1107/13 सी0 दिनांक 31.08.2024।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है–

क्र. सं.	शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 10.35 है0 सिविल सोयरम भूमि ग्राम रिंगू मुनस्यारी, खसरा सं0– 61, 12, 116, 125, 126, 164, 187, 199, 215, 218, 234, 235 ,237, 245, 257, 267, 268, 270, 295, 298, 300, 301, 303, 309, 318, 319, 321, 327, तथा 328 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं छवजपपिबंजपवद करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (घ) प्रत्यार्वित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित स्थल में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों का मिश्रित प्लांटेशन किया जायेगा। (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित वनभूमि को वनविभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है (छाया प्रति संलग्न) तथा उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है। (ग) प्रमाण पत्र संलग्न। (घ) विभाग द्वारा प्रत्यार्वित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण की धनराशि 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित जमा की गई है (छाया प्रति संलग्न)।
5	<u>शुद्ध वर्तमान मूल्यः–</u> (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दि0 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 5.175 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न) प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्यावर्तित वनभूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोप प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड मे स्थानान्तरित /जमा किए जाएगें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
9	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
10	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
11	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
13	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर थ्वतूंतकध्ठंबूंतक इमंतपदहे अंकित हों।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
14	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।
15	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
16	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित

	अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। वनभूमि किसी एजेन्सी को प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।
17	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम् 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिषानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
18	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर आहरित शर्ते लागू होगी।	अवगत कराया गया है कि निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।
19	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपनें से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
20	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
21	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी प्रकार से मलवा निस्तारण वनभूमि पर नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्ते मान्य है।
23	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संलग्नक - 2

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा क्षेत्र धारचूलाप के अन्तर्गत दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/67235/2021)।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु चयनित सी0ए0 क्षेत्र ग्राम– रिंगू, पट्टी– बसन्तकोट, तहसील– मुनस्यारी (10.35 है0) में पूर्व में किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

भवदीय,

(विजय चन्द्र भट्ट)
वन क्षेत्राधिकारी,
मुनस्यारी।

संलग्नक -3

दोबार रोगो MIR

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-12-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6167235700
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/119/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(in Rs)	9846949/-

Amount in Words :Ninety-Eight Lakh Forty-Six Thousand Nine Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896167235700 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 15-12-2023

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6167235700
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/119/2021/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(in Rs)	9846949/-

Amount in Words :Ninety-Eight Lakh Forty-Six Thousand Nine Hundred and Forty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896167235700 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

ote:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated en after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, in0903710@unionbankofindia.bank

7867735

Executive Engineer
Construction Division, PWD
Askote (Pithoragarh)
Code No. 1883

SBI अस्कोट पिथौरागढ़ ASKOTE PITHORAGARH 059
22 MAR 2024
SUMIT JAIN
MAKER P.F.No. 8442358

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रांकः– 2372 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 08– नवम्बर, 2023।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग निर्माण हेतु 5.175 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति पश्चात डिमाण्ड नोट निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र सं0 8बी/यू.सी. पी./06/119/2021/एफ.सी./984 दिनांक 20.10.2023।

उपरोक्त संदर्भित उत्तराखण्ड शासन के आदेश पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 04 व 05 के कम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा किये जाने योग्य कुल धनराशि
1	एन0पी0वी0	5.175 हे0	1005210/– (ईको क्लास–V) घनत्व 0.2	5201961.75 या 5201962.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण.	10.35हे0	4,48,791/–	4644986.85 या 4644987.00

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्याः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन मोहन दगाड़े)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संलग्नक–A

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रौंथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (अरकोट)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
अरकोट (पिथौरागढ़)

संलग्नक 1

सिविल भूमि का कब्जा प्रमाण पत्र

जनपद पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1119/2015 जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत दोबाकट रांथी हल्का वाहन मार्ग का निर्माण में आ रही (5.175) है0 वन भूमि के बदले दो गुना भूमि 10.350 है0 ग्राम रिंगू में गैर ज0वि0 खाता संख्या– 61 श्रेणी– 9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 112 रकवा 0.003 है0, 116 रकवा 0.003 है0, 125 रकवा 0.006 है0, 126 रकवा 0.114 है0, 164 रकवा 1.504 है0, 187 रकवा 0.026 है0, 199 रकवा 0.612 है, 215 रकवा 0.005 है0, 218 रकवा 0.040 है0, 234 रकवा 0.011 है0, 235 रकवा 0.499 है0, 237 रकवा 0.003 है0, 245 रकवा 0.277 है0, 257 रकवा 0.116 है0, 267 रकवा 1.123 है0, 268 रकवा 1.097 है0, 270 रकवा 0.912 है0, 295 रकवा 0.063 है0, 296 रकवा 0.016 है0, 297 रकवा 0.003 है0, 298 रकवा 0.008 है0, 300 रकवा 0.019 है0, 301 रकवा 0.006 है0, 302 रकवा 0.008 है0, 303 रकवा 0.096 है0, 309 रकवा 0.009 है0, 318 रकवा 0.243 है0, 319 रकवा 0.704 है0, 321 रकवा 1.510 है0, 327 रकवा 0.016 है0, 328 रकवा 1.298 कुल 31 खेतों की 10.350 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरण / नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिस क्रम में राजस्व उपनिरीक्षक बसन्तकोट द्वारा उक्त भूमि का अमलदरामद वन विभाग के नाम कर दिया गया है। उक्त भूमि वन विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है यह भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

(विजय चन्द्र भट्ट)
वन क्षेत्राधिकारी,
मुनस्यारी।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पत्रांक 546
फाईल नo
दिनांक 3/04/24

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/119/2021/एफ.सी./984 दिनांक 20.10.2023 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग निर्माण में आ रही 5.175 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 10.350 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के दोबाट रांथी हल्का वाहन मार्ग निर्माण में आ रही 5.175 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रिंगू पट्टी बसन्तकोट तहसील मुनस्यारी के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–61 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 112 रकवा 0.003 हे0, 116 रकवा 0.003 हे0, 125 रकवा 0.006 हे0, 126 रकवा 0.114 हे0, 164 रकवा 1.504 हे0, 187 रकवा 0.026 हे0, 199 रकवा 0.612 हे0, 215 रकवा 0.005 हे0, 218 रकवा 0.040 हे0, 234 रकवा 0.011 हे0, 235 रकवा 0.499 हे0, 237 रकवा 0.003 हे0, 245 रकवा 0.277 हे0, 257 रकवा 0.116 हे0, 267 रकवा 1.123 हे0, 268 रकवा 1.097 हे0, 270 रकवा 0.912 हे0, 295 रकवा 0.063 हे0, 296 रकवा 0.016 हे0, 297 रकवा 0.003 हे0, 298 रकवा 0.008 हे0, 300 रकवा 0.019 हे0, 301 रकवा 0.006 हे0, 302 रकवा 0.008 हे0, 303 रकवा 0.096 हे0, 309 रकवा 0.009 हे0, 318 रकवा 0.243 हे0, 319 रकवा 0.704 हे0, 321 रकवा 1.510 हे0, 327 रकवा 0.016 हे0, 328 मध्ये रकवा 1.298 हे0 कुल 31 खेतों की 10.350 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, मुनस्यारी स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक मार्च, 30, 2024

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1161 /सात–17 /2023–24 दिनांक मार्च, 30, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी धारचूला/मुनस्यारी।
4. तहसीलदार मुनस्यारी को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग अस्कोट पिथौरागढ़।

A.E (धारचूला) | JE(T)

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

(21)

फार्म नं० ए० क० 11

फसली 1412

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	बं०कं०आन अरोरा [illegible]		112	0.003	रु०	पै०							
			116	0.003									
			125	0.006									
			126	0.114									
			163	0.005									
			164	1.504									
			187	0.026									
			188	0.028									
			199	0.612									
			215	0.005									
			218	0.040									
			234	0.011									
			235	0.499									
			237	0.003									
			245	0.277									
			251	0.116									
			267	1.123									
			268	1.097									
			270	0.912									
			295	0.063									
			296	0.016									
			297	0.003									
			298	0.008									
			299	0.003									
			300	0.019									
			301	0.006									
			302	0.008									
			303	0.096									
			309	0.009									
			xx	xx									

(स्तम्भ 7–13 में अंकित टिप्पणी)

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के स्वीकृत निर्गत पत्र सं०-8बी०/यू०सी०पी०/08/119/2021/ रक्बा सी० 1904 दिनांक 20.10.2023 के क्रम में - राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दि० 17.12.2012 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्र सं० 1161/सात-17/2023-24 दिनांक मार्च, 30, 2024 के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के [illegible] हल्का वाहन मार्ग निर्माण में आ रही 10.175 है० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम [illegible] पट्टी [illegible] के मुस्तकिल गैर ज०वि० खाता सं० 61 श्रेणी-5(3)(ड) बंजर काबिल आबाद के खेत नं० 112 रक्बा 0.003 है०, 116 रक्बा 0.003 है०, 125 रक्बा 0.006, 126 रक्बा 0.114 है० 164 रक्बा 1.504 है० 187 रक्बा 0.026 है०, 199 रक्बा 0.612 है० 215 रक्बा 0.005 है० 218 रक्बा 0.040 है०, 234 रक्बा 0.011 है०, 235 रक्बा 0.499 है०, 237 रक्बा 0.003 है०, 245 रक्बा 0.277 है० 251 रक्बा 0.116, 267 रक्बा 1.123 है० 268 रक्बा 1.097 है०, 270 रक्बा 0.912 है०, 295 रक्बा 0.063 है० 296 रक्बा 0.016 है०, 297 रक्बा 0.003 है०, 298 रक्बा 0.008 है० 300 रक्बा 0.019 है०, 301 रक्बा 0.006 है०, 302 रक्बा 0.008 है० 303 रक्बा 0.096 है०, 309 रक्बा 0.009 है०, 318 रक्बा 0.293 है० 319 रक्बा 0.704 है०, 321 रक्बा 1.510 है०, 327 रक्बा 0.016 है०, 328 महबे रक्बा 1.208 है० कुल 31 खेतों की 10.350 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण अमल दरामद किया।

[हस्ताक्षर]
रा०उ०नि०
बसन्तकोट
30/04/2024

Scanned by CamScanner